

सं०- 1/सा०सु० बजट वृद्धाश्रम निर्माण-22/2013 स.क.-

बिहार सरकार

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय  
(समाज कल्याण विभाग)

आवंटन आदेश  
निबंधित

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर, भा०प्र०से०  
निदेशक,  
सामाजिक सुरक्षा, बिहार ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
भवन निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में वृद्धाश्रम निर्माण हेतु कुल रु० 100.00 लाख (एक करोड़ रुपये)  
मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-2450 दिनांक-17.04.1999 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं०-1079 दिनांक-01.07.2016 के आलोक में बाधा मुक्त वृद्धाश्रम का निर्माण, भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। तत्काल गया एवं पटना जिला में भूमि उपलब्ध है। अतएव गया एवं पटना जिला में वृद्धाश्रम निर्माण हेतु रु० 100.00 लाख (एक करोड़ रुपये) मात्र का आवंटन किया जाता है।

2. आवंटित राशि मांग संख्या-03-भवन निर्माण विभाग, मुख्य शीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-104-वृद्ध, अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0101-वृद्धाश्रम, विषय शीर्ष-53-01-मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड:- **P-4235021040101** तथा राज्य योजना स्कीम कोड-**BUI-5712** से विकलनीय होगा।

3. भवन निर्माण विभाग द्वारा आवंटित राशि की निकासी कर वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम निर्माण कार्य के मद में व्यय की जायेगी।

4. राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा घोषित निकासी एवम् व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक

ज्ञापक:-1/सा०सु० बजट वृद्धाश्रम निर्माण-22/2013 स.क.-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।ह०/-

ह०/-


निदेशक

कृ०पृ०उ०.....2/-

ज्ञापांक:- 1/सा0सु0 बजट वृद्धाश्रम निर्माण-22/2013 स.क.- पटना, दिनांक :-  
प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, गया एवं पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक:- 1/सा0सु0 बजट वृद्धाश्रम निर्माण-22/2013 स.क.- ५१ पटना, दिनांक :- ११/१२/१६  
प्रतिलिपि:- वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/जिला  
पदाधिकारी, गया एवं पटना/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण  
विभाग, बिहार, पटना/राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा  
कोषांग, गया एवं पटना/आईटी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक ११/१२/१६

५